खंड 1 संख्या 141

राष्ट्र महिला

अप्रैल 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

यह भारतीय मानसिकता वास्तव में बड़ी शोचनीय है कि गर्भ-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण निषेध अधिनियम के पारित होने के 25 वर्ष बाद और उसमें किए गये कई संशोधनों द्वारा इस अधिनियम को अधिक कठोर बना दिए जाने के बावजूद, अब भी नारी भ्रूण-हत्या धड़ल्ले से चल रही है। भारत की 2011 की जनगणना से प्राप्त प्रथम आंकड़े दर्शाते हैं कि महिला-पुरुष अनुपात बद से बदतर हो गया है। वर्ष 1991 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं थीं, 2001 में 927 महिलाएं रही गईं और अब महिलाओं की संख्या और भी गिर कर 914 रह गई है जो 1947 में मिली आजादी के बाद सबसे कम है।

यह अनुपात उत्तरी गंगा के मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में सर्वाधिक विषम है। यद्यपि इन राज्यों में साक्षरता दर बढ़ी है, तेज़ी से विकास हुआ है और अर्थ-व्यवस्था दृढ़ हुई है, तथापि लड़की के मुकाबले लड़के की चाहत बराबर जारी है। यह बड़ा विरोधाभास है कि नारी भ्रूण-हत्या समृद्ध और शिक्षित लोगों में अधिक प्रचलित है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह हे कि पहले जहां लड़कों के पक्ष में भेदभाव नहीं किया जाता था, जैसे कि मध्य और पूर्वोत्तर राज्य, वहां भी यह होने लगा है।

ये 'विलुप्त लड़कियां' वे हैं जिनका कि गर्भ-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण के बाद गर्भपात करा दिया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीनें देशभर

चर्चा में — विलुप्त लड़कियां

में सरलता से उपलब्ध हैं और लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टरों को दी जाने वाली सज़ा की दर बहुत ही कम है।

सरकार द्वारा वर्षों से लड़की बचाओ विज्ञापनों पर तथा प्रोत्साहन देने एवं निरुत्साहित करने पर खर्च की जाने वाली भारी राशि का लिंग-भेदी जड़वत मानसिकता पर कोई प्रभाव नहीं प्रतीत होता।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार तेज़ अभिप्रेरक प्रचार के बजाय महिला-अनुकूल कानून लाने और महिला-अनुकूल बजट बनाने पर अपनी शक्ति केन्द्रित करे। इस सामाजिक बुराई को दूर करने में विज्ञापन तथा निरुत्साहन की अपेक्षा महिला की गरिमा बढ़ाने वाले कानून अधिक कारगर होंगे।

इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं, जैसे भूमि एवं सम्पत्ति के संयुक्त पट्टा पर ज़ोर दिया जाना, उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन करना, लड़कियों को आकर्षक वित्तीय लाभ प्रदान करना, महिलाओं द्वारा खरीदी गयी जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी कम करना आदि।

परन्तु नारी भ्रूण-हत्या तथा नारी शिशु-हत्या को रोकने में सामाजिक समानता लाने वाला आर्थिक वातावरण केवल एक तरीका है। अंततोगत्वा, इस अभिशाप का अंत करने के लिए पुरुष-उन्मुख भेदभाव तथा लड़की के प्रति समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। इस विश्वास को बदलना अत्यावश्यक हे कि बेटी की अपेक्षा बेटा अधिक लाभदायी है। यह विश्वास महिलाओं एवं आने वाली पीढ़ी, दोनों के लिए घातक है क्योंकि स्वस्थ और शिक्षित माताओं की संतानें भी स्वस्थ और शिक्षित होती हैं।

सुश्री यास्मीन अब्रार राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा बनीं

डॉ. गिरिजा व्यास की पदावधि समाप्त होने पर, 8 अप्रैल 2011 को सुश्री यास्मीन अब्रार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा का पदभार संभाल लिया।

सुश्री अब्रार 2005 से आयोग की सदस्या हैं और 2008 में उन्हें दूसरी बार कार्यावधि के लिए नामांकित किया गया। वह राजस्थान के एक सुख्यात स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री तथा भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री अब्रार अहमद की पत्नी हैं। सुश्री अब्रार का एक राजनीतिक परिवार में पालन-पोषण हुआ और 1998 से 2003 तक उन्होंने राजस्थान विधान सभा में माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गत दो दशकों से महिलाओं तथा बच्चों के उद्धार में कार्यरत हैं।.

सुश्री यास्मीन अब्रार

सुश्री यास्मीन अब्रार का प्रेस सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा का भार संभालने के बाद सुश्री यास्मीन अब्रार ने मीडिया के साथ बातचीत के लिए एक प्रेस सम्मेलन बुलाया।

उन्होंने कहा कि वह आयोग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जारी रखेंगी और तृणमूल स्तर पर महिलाओ से सीधा संबंध साधने के प्रयोजन से 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम पर विशेष ज़ोर देंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने आयोग द्वारा सिफारिश किए गये अनेक कानूनी उपाय स्वीकार कर लिए हैं परन्तु वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि इन्हें शीघ्र कार्यान्वित भी किया जाये। आयोग एक समिति गठित करेगा जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न महिला संबंधित नीतियों पर निगरानी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिला एवं ग्राम स्तरों पर इन योजनाओं की जानकारी है या नहीं।

महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सुश्री अब्रार ने कहा कि आयोग ने पुलिस कमिश्नर के साथ कई बैठकें की हैं और उन्होंने वायदा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह विभिन्न उपाय करेंगे।

नोएडा में बिल्कुल अलग-थलग रह रही दो महिलाओं के मामले में आयोग के हस्तक्षेप के बारे में पूछे जाने पर सुश्री अब्रार ने कहा कि ऐसी स्थिति बनने के कारणों सहित इस मामले की पूर्ण गंभीरता से छानबीन की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस संबंध में नोएडा प्रशासन तथा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और यदि रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई तो आयोग मौके पर जाने के लिए एक दल गठित करेगा।

वृन्दावन की विधवाओं की जिम्मेदारी उनकी संतानों को दी जाये : आयोग

वृन्दावन में आयोग ने 1000 से अधिक विधवाओं से भेंट की जिनमें से अधिकांश ने कहा कि उनके बच्चे हैं किन्तु वे उनकी परवाह नहीं करते। उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की है कि 'माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के अंतर्गत, इन विधवाओं की जिम्मेवारी उनके बच्चों पर डाली जानी चाहिए।

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 50% विधवाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों से मिलने जाती हैं या उन्हें उपहार भेजती हैं, फिर भी ये बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते। इस तथ्य को विचाराधीन 'वृद्ध व्यक्ति विधेयक' के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

आयोग ने कहा कि महिलाओं का लुकाछिपी पीछा करना अपराध घोषित किया जाये

एक बड़ी पहल करते हुए, आयोग ने सिफारिश की है कि महिलाओं की लुकाछिपी पीछा किए जाने को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध बना दिया जाना चाहिए। इस बारे में सरकार को एक प्रस्ताव भेजते हुए आयोग ने सुझाव दिया है कि इस अपराध को महिला को परेशान किए जाने के अपराध के साथ न जोड़ कर, भारतीय दंड संहिता की धारा 509(ख) के अंतर्गत एक अलग अपराध बनाया जाये।

आयोग की सिफारिश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को हानि या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से उसका लुकाछिपी पीछा करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 509(ख) के अंतर्गत 'सात वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों' का दंड दिया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने परस्पर सहमति से तलाक पर समय का बंधन हटाया

विरक्त पति-पत्नी द्वारा परस्पर सहमति से अपना विवाह विच्छेद करना अब कठिन हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुकदमा न्यायालय द्वारा डिग्री पास किए जाने से पूर्व पति या पत्नी में से कोई भी अपनी तलाक की सहमति वापस ले सकता है।

हिन्दू तलाक कानून के अनुसार, न्यायालय के समक्ष एक बार विवाह-विच्छेद की अर्जी दे दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं में से कोई भी 18 मास के भीतर अपनी सहमति वापस ले सकता है।

परन्तु उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि भले ही पति या पत्नी 18 मास बाद अपनी सहमति वापस ले ले, पर डिग्री पास होने से पूर्व न्यायालय तलाक प्रदान नहीं कर सकता। खंडपीठ ने कहा कि 'परस्पर सहमति से तलाक प्रदान किए जाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति है।'

आयोग को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली से मिलीं

राष्ट्रीय महिला आयोग को अपने प्रारम्भ से अब तक देश के विभिन्न राज्यों से मिली शिकायतों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं और उसके बाद दिल्ली से। आंकड़ों से पता चलता है कि किसी भी एक वर्ष में सबसे अधिक अर्थात् 15,991 शिकायतें 2007 में प्राप्त हुईं। वर्ष 2009 में 14,333 शिकायतें और गत वर्ष 15,700 शिकायतें प्राप्त हुईं।

डॉ. गिरिजा व्यास ने मीडिया को धन्यवाद दिया

8 अप्रैल 2011 को अपना पदभार हस्तांतरित करने से दो दिन पूर्व डॉ. गिरिजा व्यास ने अपने छः वर्ष के कार्यकाल के दौरान मीडिया के समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद करने हेतु एक प्रेस सम्मेलन बुलाया।

उन्होंने कहा कि अध्यक्षा के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य संभालने के बाद उनकी प्रथम वरीयता महिला सशक्तिकरण थी। तृणमूल स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम का सूत्रपात किया।

उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान बलात्कार, भरण-पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, लिंग चयन निषेध, महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन आदि महत्वपूर्ण विधान सरकार द्वारा स्वीकृत किए गये।

विषम सैक्स अनुपात पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. व्यास ने कहा कि यद्यपि जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण निषेध अधिनियम एक शक्तिशाली कानून है, तथापि इसमें कुछेक खामियां रह गई हैं जिनकी ओर आयोग ने सरकार का ध्यान खींचा था। उनकी इच्छा थी कि सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजे गये विधेयक को यथाशीघ्र पारित करे और दाण्डिक प्रावधानों की वृद्धि करे ताकि इसकी अवहेलना करने वाले मात्र लाइसेंस निलम्बन का दंड पाकर न बच निकलें।

उन्होंने कहा कि आयोग मान हत्या विरोधी विधेयक लाए जाने पर भी ज़ोर देगा और वह लुकाछिपी पीछा करने को एक अलग अपराध बनाए जाने के पक्ष में है। आयोग ने सौतेले एंव गोद लिए गये बच्चों को तथा विवाह बिन रिश्ता बना कर साथ रह रही महिलाओं को भरण-पोषण दिए जाने की सिफारिश भी की है।

डॉ. गिरिजा व्यास प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए। साथ में सुश्री यास्मीन अब्रार, श्री पी.एल. पूनिया और सुश्री यास्मीन अब्रार

शिकायत कक्ष से

● एक महिला ने, जो एक मेडीकल संस्था में वरिष्ठ रेजीडेंट थी, आयोग में आकर शिकायत की कि विभाग के अध्यक्ष द्वारा उसे कार्यस्थल पर तंग किया जा रहा है। उसका कथन था कि काम की दशा असहनीय हो गई है क्योंकि विभागाध्यक्ष उस पर लगातार दूषित ताने कसते रहते हैं। उसने यह आरोप भी लगाया कि उसके कार्यस्थल की समाप्ति पर उसे अनुभव सर्टीफिकेट नहीं मिला। उसने संस्थान के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट से शिकायत भी कि किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस कारण मजबूर होकर वह आयोग के पास आयी है। उक्त अधिकारी के विरुद्ध इससे पहले भी बहुत से कर्मचारियों ने शिकायत की है, किन्तु उसने अपनी आदत में कोई सुधार नहीं किया।

आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और संस्थान के मेडीकल सुपरिन्टेंडेंट से पूछा कि शिकायत पर क्या कार्यवाई की गई और बाद में शिकायतकर्ता और सुपरिन्टेंडेंट को सुनवाई के लिए आयोग में बुलाया गया। मेडीकल सुपरिन्टेंडेंट इस मामले में की गई कार्यवाही पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने और सभी शिकायतों को स्वास्थ्य मंत्रालय (जिसके प्रशासन के अंतर्गत यह संस्थान आता है) को प्रेषित करने को तैयार हो गया। साथ ही, उन्होंने आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता को उसका मूल सर्टिफिकेट दे दिया गया है और वह अपना बकाया एकाउंट ऑफिस जाकर ले सकती है।

● एक पीड़िता के पिता ने अपने दामाद और सास-ससुर के विरुद्ध आयोग में शिकायत की कि उसकी पुत्री घरेलू हिंसा/गाली-गलौज/मार डालने की धमकी की शिकार है। दोनों पक्षों को आयोग में बुला कर मंत्रणा दी गई जिसके परिणामस्वरूप उनमें सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया जिसके अंतर्गत लड़की अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई और लड़के वालों ने वायदा किया कि उस पर घरेलू हिंसा या अन्य कोई दुव्यर्वहार नहीं किया जायेगा। दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि वे आगामी 6 मास तक मधुरता के साथ रहने का प्रयत्न करेंगे और यदि इसमें असफल हुए तो आगे की कार्यवाही के लिए वे न्यायालय जायेंगे।

पोशाक को नियमबद्ध करना गलत : आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य महिला संगठनों ने कहा है कि महिला बेडमिंटन खिलाड़ियों के लिए खेल के प्रांगण में स्कर्ट पहनना अनिवार्य करने वाला नया नियम 'गलत' और 'प्रतिगामी एवं पितृ-प्रधान मानसिकता का द्योतक है।'

आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा सुश्री यास्मीन अब्रार ने कहा कि खेल को आकर्षक बनाने के लिए पोशाक अनिवार्य बनाना गलत है। खेल तो खेल है और इसे खेल की तरह देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आपके खेल का प्रदर्शन है, यह नहीं कि आपकी पोशाक क्या है।'

डॉ. गिरिजा व्यास को राष्ट्रीय महिला आयोग की विदाई

सदस्य एवं अधिकारी डॉ. व्यास को माला पहनाते हुए

डॉ. व्यास को सदस्यों द्वारा स्मारिका भेंट

डॉ. गिरिजा व्यास

आई. आई.एम. में विदाई समारोह में संसद सदस्य सुश्री सुमीला तोरिया तथा डॉ. मोहिनी गिरि के साथ डॉ. व्यास

राष्ट्रीय महिला आयोग परिवार के साथ

राष्ट्रीय महिला आयोग परिवार के साथ

विदाई के पश्चात् आयोग से जाते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।